

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

A Man For Men For Women And More...

"Paul said, 'I want to work with an actor,'" Redford said. "And that was very complimentary to me, because that's, I think, how we both saw our profession, that acting was about craft and we took it seriously."

A Toast to  
Chai and  
Togetherness

Next-Gen  
GST  
Better & Simpler

लौहार के इस मौसम में मेरे परिवार को मिलीं खुशियां अपार

GST बचत

मनोरंजन और आराम - अब कम दाम में

1.5 टन AC होंगे ₹2,800 तक सस्ते

42-इंच TV होंगे ₹3,500 तक सस्ते

मॉनिटर, डिशवाॅशर, और पॉवर बैंक भी होंगे किफ़ायती

CBC 15502/13/0019/2526

CMYK

ट्रंप ने भारतीय प्रोफ़ेशनल्स पर सर्विस टैरिफ का भारी चपत धरा

पहले एच-1बी वीज़ा की एप्लीकेशन पर 1700 से 4500 डॉलर की फीस लगती थी, जो बढ़ाकर 100,000 डॉलर प्रति आवेदक हो गई, जो हर वर्ष लगेगी

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितंबर। डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोफ़ेशनल्स के अमेरिका जाकर काम करने पर सेवाओं के निर्यात शुल्क में 2250 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

अब तक, एच-1बी वीज़ा की आवेदन फीस प्रति आवेदन 1700 डॉलर से 4500 डॉलर होती थी। अब इसे बढ़ाकर प्रति आवेदक प्रति वर्ष 100,000 डॉलर कर दिया गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा है कि कंपनियों को यह तय करना होगा कि क्या वे इतना दाम देकर किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखना चाहेंगी या किसी शिक्षित अमेरिकी को नौकरी देंगी।

रिपोर्टों के अनुसार, नया शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा। इस तस्ख तत्काल प्रभाव से लागू होने के कारण यह कदम

■ अमेरिका के कॉमर्स सैक्रेटरी हारवर्ड लुटनिक ने इस नये सर्विस टैरिफ लगाने को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि अब अमेरिकी कंपनियों को यह निर्णय लेना होगा कि इतनी भारी फीस देकर भारतीय आईटी प्रोफ़ेशनल को रखना चाहिए या उनकी जगह किसी शिक्षित अमेरिकी नागरिक को नौकरी देना, ज्यादा अच्छा रहेगा।

■ जैसा कि विदित ही है, एच-1बी वीज़ा उन विदेशी कर्मचारियों के लिए लेना अनिवार्य होता था जो अमेरिका के नागरिक नहीं थे। पर, अमेरिका में एच-1बी वीज़ा लेकर नौकरी कर रहे थे।

■ अमेरिका के एच-1बी वीज़ा के कोटा का लगभग 70 प्रतिशत भारतीय प्रोफ़ेशल्स के काम आता था, अब जानी मानी आईटी कंपनियां, जैसे टी.सी.एस., विप्रो, टैक महिन्द्रा, इन्फोसिस आदि को नई रणनीति बनानी होगी और प्रोफ़ेशनल्स को विदेश भेजने का विकल्प छोड़कर भारत की भूमि पर काम करने की सुविधा प्रदान करनी होगी।

■ तथा, अब भारत को भी जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आयातित सामान पर जवाबी टैरिफ लगाना होगा। बोइंग हवाई जहाज की जगह फ्रांस के एयरबस विमान को खरीदने का ऑर्डर देना होगा।

उस टैक्नॉलजी क्षेत्र में भारी उथल-पुथल मचा सकता है जो मुख्य रूप से

इस सुविधा का उपयोग करता है। इनके अलावा, अमेरिकी स्वामित्व वाले छोटे

व्यवसाय और स्टार्टअप भी सीधे तौर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करने पर इंजीनियर छात्र गिरफ्तार

जयपुर, 20 सितम्बर। अशोक नगर थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई जा रही राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा की पहली पारी में परीक्षा में नकल करते एक इंजीनियर छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभ्यर्थी स्मार्ट वॉच से चीटिंग कर रहा था। वॉट्सऐप के जरिए उसने क्वश्चन पेपर को परीक्षा

■ आरोपी रवि अंडर गारमेंट में छिपाकर स्मार्ट वॉच परीक्षा केन्द्र में ले गया था तथा उसके माध्यम से नकल कर रहा था।

सेंटर से बाहर भेजा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर नकल में प्रयुक्त स्मार्ट वॉच और वॉट्सऐप के जरिए पेपर भेजने वाले मोबाइल को जब्त कर लिया है।

अशोक नगर थानाधिकारी किशन कुमार ने बताया कि आरोपी रवि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप का एच-1बी वीज़ा के आदेश का कानूनी पक्ष बहुत कमज़ोर है

अमेरिका के राष्ट्रपति को, वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने पर आयी लागत की भरपायी के लिए, फीस लगाने का वाजिब अधिकार है

■ पर, वॉशिंगटन के इमिग्रेशन मामलों के जाने माने वकील के अनुसार, अगर आवेदन पर लगाई गई फीस, खर्च से कहीं ज्यादा है तथा फीस लगाने का मकसद दण्डात्मक है, जिससे विदेशी प्रोफ़ेशनल्स का अमेरिका आना रोका जा सकेगा, तो न्यायालय राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द कर सकते हैं।

इससे सस्ते विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता घटेगी।

लेकिन पूरे अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश कानूनी रूप से कमज़ोर है। “इमिग्रेशन एंड नेशनलिट्डी एक्ट” (आईएनए) के तहत, अमेरिकी नागरिकता और आ्रजनन सेवा (यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़-यूएससीआईएस) को वीज़ा प्रक्रिया की लागत वसूलने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जहाँ लागत की वसूली एक वैध कानूनी अधिकार है, वहीं लागत वसूली के नाम पर 100,000 डॉलर का शुल्क वास्तविक प्रशासनिक खर्च से कहीं

बहुत अधिक है।

वॉशिंगटन के एक इमिग्रेशन वकील ने कहा, “इतना ज्यादा शुल्क, लागत वसूली कम, बल्कि बाहरी लोगों को आने से रोकना ज्यादा लगता है। यह आदेश वैधानिक अधिकारों से परे जाकर दिया गया आदेश सिद्ध हो सकता है।”

विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस आदेश को “एडमिनिस्ट्रिव प्रोसीजर एक्ट” (पीए) के तहत चुनौती दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के तर्कसंगत, प्रमाण-आधारित और प्रक्रियात्मक रूप से उचित होने की मांग करता है। अगर अदालतों को यह शुल्क मनमाा, अनूपातहीन या लागत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी को मो. सादिक के 20 खातों में करोड़ों रुपये का लेन-देन मिला

बीकानेर में तलाशी में ईडी को विदेशी धन, हथियारों की तस्करी, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रमाण मिले

बीकानेर, (कास)। बीकानेर में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की कार्रवाई में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी ने अमीर मो. सादिक के 20 बैंक खातों की खंगाला। इनमें करोड़ों के लेन-देन के सबूत मिले हैं। सादिक 6 से ज्यादा विदेश यात्राएं भी कर चुका है। आरोप है कि सादिक ने बांग्लादेश के एक एनजीओ की आर्थिक मदद भी की थी। विदेशों से भी फंडिंग की जानकारी मिली है।

ईडी को जो शक है कि सादिक के आतंकी कनेक्शन भी हैं और इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ईडी ने 17 सितंबर को धोबीतलाई की गली नंबर 2 स्थित मोहम्मद सादिक, फड़ बाजार में पटानों की मस्जिद वाली गली में असरार अली, सुभाषपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद और मुक्ताप्रसाद नगर में साबिर के घर सहित, कुल छः ठिकानों की तलाशी ली थी।

■ ईडी की जांच के अनुसार कोई वैध व पर्याप्त आय नहीं होने के बावजूद सादिक ने कई देशों की यात्रा की व लम्बे समय तक इन देशों में रहा। बांग्लादेश के एक एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के साक्ष्य भी मिले।

बताया जाता है कि असरार अली, जावेद और साबिर, सादिक के करीबी हैं। मोहम्मद सादिक बीकानेर में जमीयत अहले हदीस (जेएचए) नाम का एनजीओ चलाता है। सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष भी था और मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट की भी देखरेख करता था। सादिक के इन ट्रस्टों सहित, करीब 20 बैंक खातों में करोड़ों रूपए होने और लेनदेन का इनपुट मिला है।

ईडी को सादिक के खिलाफ हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली थी। ईडी को तलाशी अभियान के दौरान जुटाए सबूतों से

संदिग्ध माध्यमों से विदेशी धन जुटाने, हथियारों की तस्करी, भड़काऊ सामग्री का प्रचार-प्रसार, जबरन धर्म परिवर्तन, व्यक्तिगत तथा वैचारिक लाभ के लिए धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग आदि के प्रमाण मिले हैं।

ईडी के पास जानकारी थी कि सादिक गैरकानूनी धर्मान्तरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके चलते जयपुर से ईडी की टीम ने सच अभियान चलाया था। ईडी की जांच में सामने आया कि जमा राशि का स्रोत सादिक ने स्पष्ट नहीं किया है, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वहीं, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने के

■ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 2019 में बने कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिये।

लिफ कहा है। खंडपीठ ने इस संबंध में साल 2019 में बनाए कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजोत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश प्रियांशा गुप्ता की पीआईएल पर दिए। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे विभिन्न रेंज हैड क्वार्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले अफसरों की एक टीम बनाएं, जो कानून (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में ई-सिगरेट पर पूर्ण पाबंदी लागू करें

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वहीं, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने के

■ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 2019 में बने कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिये।

लिफ कहा है। खंडपीठ ने इस संबंध में साल 2019 में बनाए कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजोत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश प्रियांशा गुप्ता की पीआईएल पर दिए। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे विभिन्न रेंज हैड क्वार्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले अफसरों की एक टीम बनाएं, जो कानून (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो कैदियों में से एक पकड़ा गया

रात साढ़े तीन बजे 27 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए थे अनस व नवल किशोर

■ दूसरा कैदी नवल किशोर अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सात जेल प्रहरी निर्लंबित किये गये। फरारी में जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत होने का शक किया जा रहा है।

जा रही है। इस घटना के बाद जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई है। इस मामले में जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निर्लंबित कर दिया है।

हालांकि पुलिस ने इन दोनों कैदियों में से एक बदमाश अनस को पकड़ लिया है, परंतु दूसरा कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार रहने वाला है और नवल किशोर महावर इब्राहिमपुर थाना नई मंडी हिंडौन सिटी करौली का रहने वाला है। दोनों कैदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़ कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस सांगनेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनों ही 13 नंबर बैक में बंद थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई है। वहीं, दूसरे कैदी

के तालावाली बगिया फिरोजाबाद का रहने वाला है और नवल किशोर महावर इब्राहिमपुर थाना नई मंडी हिंडौन सिटी करौली का रहने वाला है। दोनों कैदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़ कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस सांगनेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनों ही 13 नंबर बैक में बंद थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई है। वहीं, दूसरे कैदी

नवल किशोर की अभी तलाशी की जा रही है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उस पर कड़ा एक्शन होगा।

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार होने की इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निर्लंबित किया है। शुरुआती जांच में इनकी लापरवाही सामने आयी है। इनमें दो मुख्य जेल प्रहरी भी शामिल हैं। डीजी जेल गोविंद जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़ कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस सांगनेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था, जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनों ही 13 नंबर बैक में बंद थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई है। वहीं, दूसरे कैदी

शुक्रवार-शनिवार की रात्रिकालीन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

नयी दिल्ली 20 सितंबर। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित

■ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम फिल्मों के सुपर स्टार मोहनलाल को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान करने की घोषणा की।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितंबर। तीन दशकों की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं को पूर्व प्रभाव (पिछली तारीख) से समाप्त कर पश्चिम बंगाल सरकार ने निवेशकों के विश्वास को तोड़ दिया है और अपनी ही अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, साथ ही पूँजी निवेश के प्रति शत्रुता का संदेश भी दिया है। इसकी वजह से एक और औद्योगिक पलायन की लहर उठ सकती है, जिसका खामियाखा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से बिल्कुल असंगत इस फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी औद्योगिक प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया है, वह भी पूर्व प्रभाव के साथ।

“पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजनाओं और अनुदान स्वरूप दायित्वों की निरस्तीकरण विधेयक, 2025”, जो 2 अप्रैल को अधिसूचित

हुआ था, उसने 1993 से अब तक दिए गए सभी प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया है और यह प्रभाव उन योजनाओं को प्रारंभ तिथि से लागू होगा। इस पूर्व-प्रभावी कार्यान्वयन का मतलब है कि पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजनाएं (1993-2021) और अन्य सहायता उपायों के तहत मिले लाभ अब अमान्य माने जाएंगे।

अब कई बड़े उद्योगपतियों ने इस कानून को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है तथा इसे “संविधान विरोधी” करार दिया गया है। उद्योग जगत इसे “विश्वासघात” की संज्ञा दे रहा है और यह सरकार व उद्योगों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास की खाई को और गहरा करता है।

डालमिया और बिड़ला समूह का अनुमान है कि इस निर्णय से उन्हें संयुक्त रूप से 430 करोड़ का नुकसान

एक बार फिर बंगाल से उद्योगों का पलायन शुरू हुआ

हुआ था, उसने 1993 से अब तक दिए गए सभी प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया है और यह प्रभाव उन योजनाओं को प्रारंभ तिथि से लागू होगा। इस पूर्व-प्रभावी कार्यान्वयन का मतलब है कि पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजनाएं (1993-2021) और अन्य सहायता उपायों के तहत मिले लाभ अब अमान्य माने जाएंगे।

अब कई बड़े उद्योगपतियों ने इस कानून को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है तथा इसे “संविधान विरोधी” करार दिया गया है। उद्योग जगत इसे “विश्वासघात” की संज्ञा दे रहा है और यह सरकार व उद्योगों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास की खाई को और गहरा करता है।

डालमिया और बिड़ला समूह का अनुमान है कि इस निर्णय से उन्हें संयुक्त रूप से 430 करोड़ का नुकसान

तृणमूल सरकार द्वारा छः महीने पहले लिए गए इस नीतिगत फैसले का असर अब साफ दिखने लगा। 6,000 कंपनियां, जिनमें 110 लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं, ने अपना कारोबार बंगाल से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया।

इकॉनमिस्ट भी तृणमूल सरकार के इस आदेश का कारण समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अब तो स्थापित सोच है कि औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग को इन्सैन्टिव देना काफी लाभदायक होता है। अमेरिका की एक स्टडी के अनुसार, कैपिटल इण्डस्ट्रियल इन्सैन्टिव पर खर्च किया गया एक रुपया, दो रुपये का लाभ पहुंचाता है। उद्योगों को।

चीन में की गई एक अन्य स्टडी के अनुसार, जिन कंपनियों में सब्सिडी का इन्सैन्टिव किया गया, उनका उत्पाद 61.3 प्रतिशत ज्यादा था बनिस्पत उन इण्डस्ट्री के, जिन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया था।

हुआ है, जबकि अन्य कंपनियां अभी नुकसान का आकलन कर रही हैं। वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ, जिन्होंने अपने निवेश, विस्तार और वित्तीय योजनाएं इस आधार पर बनाई कि उन्हें

सरकार से वादे के अनुसार प्रोत्साहन मिलेंगे, अब उन्हें सीधे आर्थिक नुकसान और योजना में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल का उद्योगों के

हिस्सा माना गया और उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का कथन है कि “पूँजीपति वर्ग शत्रु है, जिससे किसी सहायभूति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

हड़तालें, यूनियनवाद और हिंसा वामपंथी शासन में आम थी। साथ ही उद्योगों पर हमले, आगजनी और श्रमिक उग्रता भी काफी ज्यादा थी। परिणामस्वरूप, कई उद्योगों ने राज्य छोड़ दिया, सिंघानिया दिल्ली चले गए, बिड़ला मुंबई और जो राज्य कभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य था, वह पतन की ओर चला गया।

वामपंथियों की जगह जब ममता बनर्जी की अगुआई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तो उम्मीद जगी थी। लेकिन सिंगूर में टाटा मोटर्स के खिलाफ आंदोलन, जिसने अंततः कंपनी को राज्य से बाहर कर दिया, ने ममता की उद्योग विरोधी छवि बना दी। विडंबना यह रही कि सिंगूर संयंत्र की शुरुआत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समुद्र में देश की पहली सुरंग का निर्माण पूरा

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के घनसौली और शिलफाटा में किये गये सुरंग निर्माण को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा है कि यह देश की पहली परियोजना है जिसके

■ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत घनसौली और शिलफाटा के बीच यह सुरंग बनाई गई है।

तहत समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में की यह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)